न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 127/2022 दर्ज दिनांक 25.08.2022

उनवान

1– लाली देवी पत्नि ओमप्रकाश यादव

2– हंसी देवी पत्नि बनवारीलाल यादव समस्त जातियान अहीर, निवासी बावडी, तन खेलना, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान **वादीगण**

बनाम

1– फूलचन्द

2– मुखराम

3– अमीलाल पुत्रांन स्व० जम्मनसहाय

4– भंवरी पत्नि स्व० कल्याणसहाय

5– बिहारीलाल

6– महेश

7– रोशन

8– लीलाराम पुत्रांन स्व० कल्याणसहाय

9– मीरा पुत्री स्व० कल्याणसहाय

10– सोनी देवी पत्नि स्व० महादेव प्रसाद

11– गोदराज

12– शेरसिंह पुत्रांन स्व० महादेव प्रसाद

13– कृष्णा

14– चिडिया पुत्रियांन स्व० महादेव प्रसाद

समस्त जातियान जाट निवासीयान तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर,

15– शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडनगर तहसील पावटा, जयपुर

16– शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

17– शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा जिला जयपुर

18– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर

49– श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक: 28.04.2025

1. वादीयागण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री रामनिवास यादव एवं हीरालाल रावत के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी को वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 22–7–2011 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 09 के पति व पिता कल्याणसहाय व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पति व पिता महादेव प्रसाद से खरीद की थी। मौके पर कब्जा वादीगण का करवा दिया था। इस प्रकार खरीद के दिन से वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Scanned with OKEN Scanner

2. वादीगण आराजी खरीद के बाद राजस्व रिकार्ड में अपनी खरीदशुदा आराजी का अंकन नहीं करवा सके तथा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण 01 लगायत 14 का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। अब उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 आये दिन वादीगण की खरीदशुदा आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं, लडाई–झगड़ा करते है तथा ताकत के बल पर वादीगण को उनकी खरीदशुदा आराजी से बेदखल करने पर उतारू है तथा आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देतर है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का वादीगण की खरीदशुदा आराजी से कोई लेना–देना ताल्लुक अथवा वास्ता नहीं है, ना ही कभी रहा है।यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, वादीगण को आराजी से बेदखल करने, वादीगण के आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 को कई मर्तबा कहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज करवा दो तथा वादीगण की खरीदशुदा आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों । लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं तथा गत सप्ताह से आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी दे रहे है, समझाने से नही मानते है, साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। रिहायश फरीकेन एंव वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार हैं ।

3 वादीयागण दावेदार है कि एक किता डिकी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को उनकी खरीदशुदा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14, वादीगण की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलन्दाजी पैदा करें । वादीगण को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त करने देवें, वादीगण को आराजी से बेदखल ना करें, ना ही ऐसी कोई धमकी देवें । आराजी को किन्ही दीगर लोगों रहन बैय बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल या ट्रांसफर ना करें । सदा–सदा के लिए ममनू व बाज रहें । या जो दादरसी न्यायहित में हो सादिर फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4 वादीयागण के द्वारा वादपत्र पेश होने पर विधिवत रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इस कारण प्रतिवादी सं. 01 लगायत 17 के विरूद्व दिनांक 20.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य में साक्षीगण हरीसिंह, धर्मपाल, लालीदेवी वगैरा के बयान शपथ पत्र पेश कर बयान/चिफ करवाये गये तथा दस्तावेजात प्रदर्श–01 (जमाबन्दी सम्वत 2076–2079) एवं प्रदर्श–02 (असल विक्रय पत्र दिनांकित 22.07.2011) पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया। दस्तावेजात प्रदर्श होने के बाद वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी वकील ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 के आधार पर आ.ख.नम्बर 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 14 का नाम राजस्व रिकार्ड मे से कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतू निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का भली भांति अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया । वादपत्र में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 09 के पति व पिता कल्याणसहाय व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पति व पिता महादेव प्रसाद के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में से नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना सही सिद्व होता है क्योंकि वादीयागण ने उक्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 22.07.2011 के द्वारा खरीद किया हुआ है तथा खरीद दिन से वादीयागण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

5. अतः दावा वादीयागण के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आ.ख.नं. 3131/1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के राजस्व रिकार्ड में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 09 के पति व पिता कल्याणसहाय व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पति व पिता महादेव प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :– 127/2022 दर्ज दिनांक 25.08.2022

उनवान

1– लाली देवी पत्नि ओमप्रकाश यादव
2– हंसी देवी पत्नि बनवारीलाल यादव समस्त जातियान अहीर, निवासी बावडी, तन खेलना, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान **वादीगण**

बनाम

1– फूलचन्द
2– मुखराम
3– अमीलाल पुत्रांन स्व० जम्मनसहाय
4– भंवरी पत्नि स्व० कल्याणसहाय
5– बिहारीलाल
6– महेश
7– रोशन
8– लीलाराम पुत्रांन स्व० कल्याणसहाय
9– मीरा पुत्री स्व० कल्याणसहाय
10– सोनी देवी पत्नि स्व० महादेव प्रसाद
11– गोदराज
12– शेरसिंह पुत्रांन स्व० महादेव प्रसाद
13– कृष्णा
14– चिडिया पुत्रियांन स्व० महादेव प्रसाद
समस्त जातियान जाट निवासीयान तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर,
15– शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडनगर तहसील पावटा, जयपुर
16– शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर
17– शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा जिला जयपुर
18– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर
49– श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

(मुद्रा: उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़) सत्यमेव जयते)

दावा बाबत घोषणात्मक एंव स्थाई निषेधाज्ञा

अतः दावा वादीयागण के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आ.ख.नं. 3131/ 1.18 वाके मौजा तुलसीपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के राजस्व रिकार्ड में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 09 के पति व पिता कल्याणसहाय व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पति व पिता महादेव प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आज दिनांक 28.04.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई है।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Scanned with OKEN Scanner